<u>सावधान निवेशक सदा सुखी</u>

सोशल मीडिया में एजुकेटर, ट्यूटर, सलाहकार के नाम पर धोखाघड़ी के सांझे में न फंसना ही बुद्धिमानी

सोशल मीडिया माध्यम जितना सामाजिक है, उससे कई गुना असामाजिक है। ऐसे असामाजिक कार्य के अवसर भी सोशल मीडिया ही प्रदान कर रहा है। पब्लिक-हर व्यक्ति, इस माध्यम में अपनेआप को यूज़र्स मानता है, समझता है। हालांकि, उनका युज़ (मिस्यूज़) किया जा रहा है, का खयाल आता है उन्हें कडुवा अनुभव होने के बाद। खासकर, शेयर्स-प्रतिभूति में ट्रेडिंग या क्रय-विक्रय और विभिन्न प्रकार की निवेश संबंधी सलाह देने के नाम पर कुछ समय से लोगों के साथ धोखाघड़ी करने का खेल बेधड़क चल रहा है। वैसे, इनके ऐसे कारनामे में फँसते है लोभी-लालची लोग। उनके साथ धोखा करनेवाले चालाक होते है और ऐसी लूट के जरिए लाखों-करोड़ों रुपए कमा लेते है।

नियमन संस्था सेबी ने हाल ही में एक अजीबोगरीब मामले का भंडाफोड़ किया। जो निवेशकवर्ग के लिए बेहतर सबक बन सकता है। सेबी के अनुसार, कुछ लेभागू लोग निवेशकों को महीनेभर में तीन से छह लाख रुपए तक कमाईं की गारंटी देकर शेयर्स संबंधी सिफारिश करते है, चालू ट्रेडिंग कार्यकाल दौरान भी क्रय-विक्रय की सलाह देते है। गौरतलब है कि, ऐसे सलाहकार सिक्युरिटीज़-स्टॉक मार्केट के शैक्षणिक पाठ्यक्रम के नाम पर लोगों को आकर्षित करते है और शिक्षा देने के नाम पर निवेशकों का फँसाते है। वैसे, सामान्य दिख रही इस प्रवृति के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से निवेशक-ट्रेडर्स को आकर्षित करने के लिए उच्चतम प्रतिफल की गारंटी देनेवाले और निवेश संबंधी शिक्षा के नाम पर लोगों से ठगी करनेवाले कुछ लेभागू और कथित निवेश सलाहकार-विश्लेषकों के कारनामे ध्यान पर आते ही सेबी उनके खिलाफ कदम उठा रहा है। इन लेभागू में कुछ अपनेआप को एक्सपर्ट बताते है और कुछ अपनेआप की पहचान "चार्ट का बाप" के नाम से भी देते है। गौरतलब है कि, शेयर बाज़ार में चार्ट पर विश्वास करनेवालों की संख्या भी काफी बड़ी है।

निजी ग्रुप के नाम पर फैलती जाल

INTERNAL

यह लोग शेयरबाज़ार की गतिविधियों की गहन जानकारी होने का दावा करते है और निवेशकों को कुछ ही अवधि में निवेश राशि दुगुना करने की ऑफर देते है, ऐसे निवेश सलाहकार सेबी में रजिस्टर्ड तो नहीं है और निजी ग्रुप बनाकर अपनी प्रवृति चलाते है, निवेशकों को प्रलोभन देकर अपनी जाल में फँसातें है। उन्हे अनगिनत लोभी-लालची निवेशक भी मिल जाते है। जिसमें, लाखों-करोड़ों की कमाई करते है ऐसे सलाहकार/ विश्लेषक। सेबी ने ऐसे कुछ लेभागू के १७ करोड़ रुपए जब्त करके अलग अकाउंट में जमा किए है। कुछ पर सिक्युरिटी मार्केट में सौदे करने पर रोक लगाई है। अर्थात, मार्केट मे सौदे करने पर प्रतिबंध लगाया है।

एजुकेटर, ट्यूटर बने लूटेरे

पिछले दो-तीन साल से सोशल मीडिया माध्यम से वित्तीय सलाह देनेवाले इन्फ़लुएंसर्स की बाढ़ आई है। ये इनफ्लुएंसर्स शेयरों से लेकर फंडों की स्कीम या अन्य निवेश संसाधन-योजनाओं के संबंध में लोगों को अपने वाक्चतुर्य से ललचाते-आकर्षित करते है। अनगिनत निवेशक इसमें फँसते भी है। इन लेभागूओं को रोकने के लिए नियमन अमली बनाने की प्रक्रिया सेबी ने शुरू तो की है लेकिन अभी भी लोगों के साथ बेतहाशा धोखाघड़ी चल रही है। बचत करनेवाले-निवेशकवर्ग सोशल मीडिया के ऐसे प्लान्टेड-कथित प्रभावशाली लोगों की सलाह के संबंध में जागरूक नहीं होंगे तो कमाई तो दूर रही ऊपर से लूट जाएंगे। ये प्रभावशाली इन्फ़लुएंसर्स शेयर्स या फंड्स संबंधी जानकारी देने का स्वतंत्र व्यवसाय करतें है। सोशल मीडिया पर संबंधित स्टॉक्स या/और फंड्स की स्कीम के संबंध में निवेशक आकर्षित होकर निवेश के लिए प्रेरित हो ऐसी जानकारी, प्रेज़न्टेशन, कॉमेंट्री, वीडियो आदि का प्रसार-प्रचार वायरल करते है। ये लोग अपनी पहचान एजुकेटर, कंटेंट क्रिएटर या ट्यूटर के रूप में भी देते है। लाखों लॉग उनकी बातों से प्रभावित होकर निवेश करते है। वास्तव में, इसमें से अधिकांश प्लान्टेड है। सेबी मानता है कि सोशल मीडिया माध्यम से ऐसे लेभागू, निवेशकवर्ग को गुमराह करके चालाकी के साथ निवेश करने के लिए ललचाते है, अतः इन पर लगाम लगाना अनिवार्य है।

विदेशों मे भी चल रहे है ऐसे कारनामे

सोशल मीडिया इन्फ़लुएंसर्स की समस्या न केवल भारत में बल्कि विकसित और विकाशशील राष्ट्रों में भी है। उन्हें नियंत्रित करना सुलभ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ने मार्च,२०२२ को घोषणा की थी कि वित्तीय सलाहकारी कार्य के लिए सोशल मीडिया इन्फ़लुएंसर्स के पास लाइसेंस होना चाहिए और इसका उल्लंघन करने पर कारावास या आर्थिक दंड होगा। सिक्योरिटी कानून के एक विशेषज्ञ के अनुसार इन्फ़लुएंसर्स नियमन अंतर्गत न होने

INTERNAL

से सेबी के लिए कार्य कठिन है। वैसे, सेबी अपने नियमन अंतर्गत वर्ग को ऐसे इन्फ़लुएंसर्स दूर रहने को बाध्य बना सकता है। सेबी के लिए यह मामला चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सब से महत्वपूर्ण यह है बेहतर यही होगा कि निवेशकवर्ग स्वयं जागरूक रहे और ऐसे लेभागू लोगों से दूर रहे।

प्रस्तुतकर्ता-जयेश चितलिया

(टिप्पणी: यहाँ प्रस्तुत विचार और अभिमत लेखक है, का उद्देश्य निवेशकवर्ग को जानकारी देने और जागरूक करने का है, इस लेख में किसी भी क्षति या कमी के लिए बीएसई जिम्मेदार नहीं है)

INTERNAL